कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–2 / 25104 / 2017–18 / दिनांकः– 19.4.17

प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापिका,

राबाउमावि / राबामावि,....................

विषयः– 04–चिकित्सा व्यय में राशि का आवंटन वर्ष 2017–18 हेतु।

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नांकित विद्यालयों को मांग संख्या–24 बजट मद 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (28)–बालिका विद्यालय, (01)–बालिका विद्यालयों का संचालन व्यय – प्रतिबद्ध (राज्य निधि) अन्तर्गत 04–चिकित्सा व्यय में अंकित राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए किया जाता है। यदि किसी मृतक एवं सेवानिवृत कार्मिक का कोई प्रकरण बकाया हो तो उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुवे शेष प्रकरणों की राशि वरियता कम से नियमानुसार आहरित की जावे। आवंटित राशि का उपयोग तीन माह के भीतर कर लिया जावे, अन्यथा राशि प्रत्याहरित की जा सकती है।

क्र. सं.	Off-Id	नाम विद्यालय	जिला	आवंटित राशि 04–चिकित्सा व्यय	विशेष विवरण
1	12009	GGSS, THANWALA (RIYANBADI)	NAGAUR	82250	श्री सुशील कुमार चौधरी व.अ. के बकाया दावो हेतु
2	14585	GGSSS, KALINDRI (SIROHI)	SIROHI	17642	श्री कन्हैया लाल कुम्हार व.लि. के बकाया दावो हेतु
3	19040	GGSS, KASTURBA	UDAIPUR	29600	स्टॉफ हेतु
4	30039	GGSS, BHAGATPURA	HANUMANGARH	44250	श्री रणजीत राम व.अ. के बकाया दावो हेतु
			योग	173742	

(04–चिकित्सा व्यय अक्षरे रूपये एक लाख तेहत्तर हजार सात सौ बैयालीस मात्र)

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–2 / 25104 / 2017–18 / दिनांकः– 19.4.17

प्रतिलिपिः–

1. सिस्टम एनालिस्ट,कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
2. कोषाधिकारी, जिला कोषालय, ...
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय ....
4. प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट) ऑनलाईन जारी करने हेतु।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / बजट / बी–I / 25033 / 2017–18 दिनांक : 19-04-2017

प्रधानाचार्य,
स्व0 श्री बी0 एन0 जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बांदीकुई (दौसा)
ऑफिस आईडी – 6805

विषय :– चिकित्सा व्यय हेतु अग्रिम राशि का आवंटन ।
प्रसंग :– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा–मा / साप्र / ए–2 / 1940 / ज0म0 / चि.अ. / 2016 / 2 दिनांकः 18.04.2017

— — — 000 — — —

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक स्वीकृति के क्रम में मांग संख्या–24 बजट मद 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (27)–लड़कों के विद्यालय,(01)–लड़को के विद्यालय का संचालन व्यय–प्रतिबद्ध (राज्य निधि) के अन्तर्गत 04–चिकित्सा व्यय में **श्री गौरव शुक्ला , वरिष्ठ लिपिक की पत्नी श्रीमती शैलू पाठक के "स्तन कैंसर रोग "** के ईलाज हेतु PRINCIPAL SMS MEDICAL COLLEGE AND COTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR के कार्यालय आदेश क्रमांक 2273–77 दिनांक 23.01.2017 के द्वारा गठित बोर्ड ईलाज हेतु दिये गये कुल अनुमानित व्यय राशि 4,75,000/– विरूद्ध रूपये 2,00,000/– (अखरे रूपये दो लाख मात्र) के अग्रिम आवंटन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.6(4)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 16.09.2008 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ किया जाता है :–

1. जब एक बार अग्रिम मंजूर कर दिया गया हो तो अगला अग्रिम तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक की पूर्व अग्रिम की रकम की सीमा तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा समायोजन के लिए प्रस्तुत नहीं कर दिया हो।
2. अग्रिम की सम्पूर्ण रकम इन नियमों के अधीन देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के पेटे, रोगी के अस्पताल से छुट्टी देने की तारीख से एक मास के पूर्व न कि उसके पश्चात् अंतिम रूप से समायोजित की जायेगी अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज प्रस्तावित किया जावेगा।
3. अग्रिम राशि का समायोजन कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावे के विरूद्ध किया जावेगा जो कर्मचारी द्वारा रोगी के अस्पताल से लौटने के 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि अग्रिम राशि ऑपरेशन / ईलाज की पुनर्भरण योग्य राशि से अधिक है तो ऐसी राशि कर्मचारी द्वारा रोगी के अस्पताल से लौटने के 15 दिन में राजकोष में सम्बन्धित बजट मद में वापिस जमा करानी होगी। अन्यथा 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
4. प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा ऑपरेशन / ईलाज की तिथि निर्धारित करने के 15 दिवस पूर्व ही अग्रिम राशि प्रदान की जावेगी।
5. प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह या अन्य किसी कारण से रोगी का ईलाज संदर्भित अस्पताल में नहीं कराया जाता है तो ऐसा निर्णय लिये जाने के 15 दिन में अग्रिम राशि को वापस जमा करवानी होगी लेकिन यह उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी जहां प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा चिकित्सा कारणों से ईलाज की तिथि स्थगित कर दी गई हो।
6. चिकित्सा अग्रिम स्वीकार करने का आशय उपचार पर व्यय कुल राशि के पुनर्भरण की सहमति/स्वीकृति नहीं है। अग्रिम का समायोजन/पुनर्भरण चिकित्सा परिचर्या नियमों के प्रावधानानुसार ही अनुज्ञेय होगा।
7. अग्रिम राशि का भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त शर्तें, जिनके अध्यधीन यह राशि स्वीकृत की गई है, की पालना नहीं किया जाना दुराचरण माना जावेगा।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / बजट / बी–I / 25033 / 2017–18 दिनांक : 19-04-2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोडिंग हेतु।
2. कोषाधिकारी, जिला कोषालय, ...
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), को क्रमांक : शिविरा–मा / साप्र / ए–2 / 1940 / ज0म0 / चि.अ. / 2016 / 2 दिनांकः 18.04.2017 के क्रम में।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), दौसा।
5. प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रभाग (बजट अनुभाग)।
7. रक्षित पत्रावली ।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:\BUDGET\2014-15\GROUP-B1\25033.1415.docx6